फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

बोदू बनाम नायब तहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर

केस संख्या :– 1/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/02/2022	पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलान्ट उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्टस उपतहसीलदार उप तहसील शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा जारी आदेश 04/01/2021 से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील पेश की है। अपीलान्टस द्वारा संक्षेप में अपील इस प्रकार पेश की है। हाल आराजी खाता संख्या 98 के ख.नं. 3645/1.57, 3645/4317/1.45 व खाता संख्या 52 केखसरा नम्बर 3626/0.64, 3642/0.58, 3643/0.21 किता 3 रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण रिकॉर्डेड सहखातेदार है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मध्य में ख.न. 3644/0.22 गै0मु0 नला सिवायचक भूमि है, जिस पर शुरू से ही प्रार्थीगण काबिज काश्त है। अप्रार्थी ने दिनाक 04/01/2022 को अपने पत्राक भू.अभि./2022/209 के द्वारा खसरा नम्बर 3644 व 3628/4321 किस्म गै0मु0 नाले में से अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 11/1/2022 की पालना हेतु आदेश पारित किया है जिसमें व्यथित होकर श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश 04/01/2022 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जाने योग्य है। प्रार्थीगण के ख.नं. 3643, 3642 की पूर्वी दिशा व खसरा नम्बर 3645, 3645/4317 की पश्चिम दिशा यानि की दोनों के बीच में ख.न. 3644/0.22 है0 गै0मु0 नाला अंकित किया गया है, जबकि मौके पर कोई नाला नहीं है। प्रार्थीगण उक्त ख.नं. पर अर्सा 50 वर्ष से अधिक समय से काश्त करत आये है तथा वर्तमान में गेहूँ जो की फसल बो रखी है। प्रार्थीगण की भूमि का रकबा कम है जो उक्त ख.नं. की भूमि मिलाने (जोडने) पर पूरी होती है। भू प्रबन्ध की कार्यवाही में गलती से पृथक रकबा बनाकर किस्म गै0मु0 नला दर्ज कर दिया, जबकि वर्तमान भौतिक स्थित, नक्शा व साबिक नक्शा अनुसार कभी भी नला की भूमि नहीं रही है क्योंकि ख.नं. 3626 की पूर्वी सीमा पर उक्त खसरा की सीमा खत्म होकर ख.नं. 3695 में मिल जाती है तथा दक्षिणी छोर पर ख.नं. 4342 पर सीमा पूरी हो जाती है यानि दोनो तरफ प्रार्थीगण क रकबे में पूरा ही जाता है तथा प्रार्थीगण शुरू से काबिज है। अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश 04/01/2022 जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया इसलिए उक्त आदेश दिनांक 04/01/2022 निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश की जानकारी होने पर आवेदन पत्र पेश कर रिकॉर्ड प्राप्त कर रकबा पूर्ती हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करना चाहता है। प्रार्थीगण का रकबा पूरा हो जाता है तो बिना नोटिस काग्रवाही के गै0मु0 नला की भूमि छोडने को बयान हल्फी करता है। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर गेहूँ जौ की फसल काश्त कर रखी है यानि उक्त आदेश प्रभावी रहा तो फसल नष्ट हो जायेगी। ख.न. 3644/0.22 है0 की प्रार्थीगण द्वारा लगातार काश्त करते आये है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों का भाग रहा है; अप्रार्थी ने बिना विधिक प्रकिया का अनुसरण किये प्रार्थीगण को बेदखली के आदेश पारित किये है साथ ही ख.नं. 3628/4321 अंकित किया है जबकि उक्त ख.नं. पर श्रीमान के यहां से स्थगन जारी किया जा चुका है। प्रार्थीगण को अपना रकबा की पूर्ती कराने का अवसर दिया जाना आवश्यक है अन्यथा	

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा इसलिए [illegible] 04/01/2022 निरस्त किया जाने योग्य है। उक्त अपील [illegible] शुल्क पर अन्दर मियाद है जिसे निर्णित करने का श्रीमान को [illegible] अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय [illegible] आदेश 04/01/2022 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण जरिये अधिवक्ता पेश होने पर रिपोर्ट [illegible] रिपोर्ट समाप्त पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर कर [illegible] की [illegible] समन नोटिस जारी किये गये तामील होने पर पैरोकार [illegible] उपतहसीलदार उपतहसील मनोहरपुर द्वारा जवाब पेश हुआ जिसे [illegible] पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब [illegible] 04/02/2022 के द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम [illegible] आराजी ख.नं. 3644/0.22 है0 किस्म गै0मु0 नाला राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] जिसका साबिक ख.नं. 2252 रकबा 14 बिस्वा था जिसकी किस्म गै0मु0 [illegible] थी उक्त ख.नं. 3644 गै0मु0 नाला है। पटवारी हल्का द्वारा धारा [illegible] रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। वर्तमान में मौके पर [illegible] नहीं है यह नाला भूमि सुधार के कारण खेतों में विलय हो गया है [illegible] धारा 91 की रिपोर्ट की गयी थी। प्रतिवादी का कहना है कि [illegible] खातेदारी भूमि का रकबा कम है। उसके लिए प्रार्थीगण रिकॉर्ड दुरुस्ती [illegible] वाद सक्षम न्यायालय में पेश करें। गै0मु0 नाले का राजस्व रिकॉर्ड [illegible] साबिक व हाल दोनों में अंकन है तथा निर्णय विधि सम्मत है। अतिक्रमी को पटवारी हल्का से धारा 91 की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नियमानुसार सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। उक्त खसरा नम्बर 3644/0.22 है0 किस्म गै0मु0 नाला सिवायचक भूमि है, जिस पर अतिक्रमियों द्वारा नाजायज काश्त की। जिसको अतिक्रमण से मुक्त करना आवश्यक एवं न्याय संगत है। ख.नं. 3644 रकबा 0.22 जिसके साबिक ख.नं. 2252 रकबा 14 बिस्वा है जिसकी किस्म गै0मु0 नाला है।

बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में ख.नं. 3644/0.22 गै0मु0 नाला सिवायचक भूमि है जिस पर प्रार्थीगण शुरू से काबिज काश्त है। अप्रार्थी ने दिनांक 04/01/2022 को अपने पत्रांक भू0अभि0/2022/209 के द्वारा ख.नं. 3644 व 3628/4321 किस्म गै0मु0 नाला का अतिक्रमण हटाने की पालना दिनांक 11/01/2022 को करने का आदेश जारी किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है।

ख.नं. 3644/0.22 गै0मु0 नाला अंकित है। यह प्रार्थी के ख.नं. 3643, 3642 की पूर्वी दिशा व खसरा नम्बर 3645, 3645/4317 की पश्चिम दिशा यानि दोनों के बीच में ख.नं. 3644/0.22 है0 गै0मु0 नाला अंकित किया गया है जबकि मौके पर कोई नाला नहीं है। वर्तमान में मौके पर गेहूँ जौ की फसल बो रखी है। उक्त ख.नं. पर अर्सा 50 वर्षों से अधिक समय से काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण/अपीलान्ट की भूमि का रकबा कम है। उक्त आराजी ख.नं. 3644/0.22 है0 गै0मु0 नाला की जमीन मिलाने पर रकबा पूरा होता है। सैटलमेन्ट द्वारा गलत कार्यवाही कर पृथक से उक्त ख.नं. 3644/0.22 बनाकर गै0मु0 नाला दर्ज कर दिया। वर्तमान में भौतिक स्थिति वर्तमान नक्शा एवं साबिक नक्शे के अनुसार कभी भी नाला की भूमि नहीं रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा उक्त आदेश पारित होने के उपरान्त जानकारी होने पर आवेदन कर राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त कर अपीलार्थीगण रकबा पूर्ति कराने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना चाहता है। यदि अपीलार्थीगण का रकबा पूरा हो जाता है तो बिना नोटिस ही उक्त ख.नं. का रकबा पूरा हो जाता है तो बिना नोटिस ही उक्त ख.नं. गै0मु0 नाला की भूमि से अतिक्रमण हटाने को तैयार है।

अति. जिला [illegible]

अपीलान्टगण मौके पर गेहूं जौ की फसल काश्त कर रखी है यदि उक्त आदेश प्रभावी रहा तो फसल नष्ट हो जायेगी। उक्त खसरा नम्बर 3644/0.22 प्रार्थीगण की भूमियों का भाग रहा है। अप्रार्थी द्वारा बिना विधिक प्रकिया का अनुसरण किये प्रार्थीगण को उक्त आराजी ख.नं. से बेदखल करने के आदेश पारित किये है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा ख.नं. 3628/4321 अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बाबत उक्त आदेश 04/01/2022 में वर्णित किया है। इसलिए प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि का रकबा पूरा करने के लिए अवसर दिया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है अन्यथा प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए अप्रार्थी का आदेश 04/01/2022 निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जावें।

बूके, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जवाब एवं वकील अपीलान्ट की बहस सुनी जाने के उपरान्त प्रकरण धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 के अन्तर्गत गै0मु0 नला सिवायचक सरकारी भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण करने का पाया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में जाहिर किया है कि अप्रार्थी उपतहसीलदार मनोहरपुर द्वारा दिनांक 04/01/2022 को आराजी ख.नं. 3644/0.22 व 3628/4321 वाके ग्राम खोरालाडखानी का अतिक्रमण दिनांक 11/01/2022 को कार्यवाही बाबत अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किये गये है, जबकि आराजी ख.नं. 3644/0.22 वाके ग्राम खोरालाडखानी अपीलार्थीगण की खातेदारी का भाग रहा है। सैटलमेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण का रकबा कम कर उक्त ख.नं. 3644/0.22 पृथक से बनाकर गै0मु0 नला अंकित कर दिया गया, जिसके लिए रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा काफी अर्से से उक्त ख.नं. पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी उक्त ख.नं. 3644 पर गेहूं व जौ की फसल काश्त कर रखी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये गैर कानूनी आदेश पारित किये है, जो चलने योग्य नहीं है। यदि सक्षम न्यायालय के आदेश से अपीलार्थी का रकबा पूरा हो जाता है तो उक्त ख.नं. को छोडने को तैयार हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जावें।

पैरोकार सरकार उप तहसीलदार मनोहरपुर की रिपोर्ट मुताबिक आराजी ख.नं. 3644/0.22 किस्म गै0मु0 नला की भूमि है जिसके साबिक ख.नं. 2252 रकबा 14 बिस्वा था, जिसकी किस्म गै0मु0 नाला थी। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट धारा 91 के आधार पर न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा निर्णय पारित किया है। वर्तमान में उक्त ख.नं. 3644/0.22 गै0मु0 नाला खेतों में विलय हो गया है। यदि अपीलार्थीगण का रकबा कम है तो उसके लिए रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करें। गै0मु0 नाले का राजस्व रिकॉर्ड साबिक एवं हाल रिकॉर्ड में अंकन है। पटवारी हल्का से धारा 91 की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। उक्त ख.नं. 3644/0.22 किस्म गै0मु0 नाला सिवायचक भूमि जिस पर अतिक्रमियों द्वारा नाजायज काश्त की है, जिसको अतिक्रमण से मुक्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। पैरोकार सरकार उप तहसीलदार मनोहरपुर की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी ख.नं. 3644/0.22 है0 किस्म गै0मु0 नाला सरकारी भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने बाबत दिनांक 04/01/2022 को आदेश जारी किया है जो विधि सम्मत है। आराजी ख.नं. 3644/0.22 है0 गै0मु0 नाला पर आज भी अपीलान्ट का अतिक्रमण यथावत है, जिस पर मौके पर गेहूं व जौ की फसल बौ रखी है। प्रार्थी/अपीलान्ट का रकबा कम हुआ है तो सक्षम न्यायालय में रिकॉर्ड

अति. जिला कलक्टर
कोटपुतली (जयपुर)

दुरूस्ती का दावा पेश करें। पटवारी हल्का की धारा 91 की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04/01/2022 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की पालना में उक्त आदेश जारी किया है। इसलिए उक्त आदेश को खारिज करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्टस का गै0मु0 नाला की भूमि पर अतिक्रमण है, जिस पर काश्त करना अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपील स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उपतहसीलदार मनोहरपुर को आदेश दिये जाते है कि सम्वत 2078 में रबी की फसल की भी शास्ति वसूल करें तथा वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा गेहूँ जौ की उक्त आराजी ख.नं. 3644/0.22 गै0मु0 नाला में फसल बौ रखी है उसे फसल पकने तक खुर्द–बुर्द नहीं करें। यदि अपीलान्ट की खातेदारी का रकबा कम है तो सक्षम न्यायालय में अपीलान्टस् चाराजोही करें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)